प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 18.07.2025

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा थाना इन्दिरापुरम क्षेत्रान्तर्गत लूट की घटना कारित करने वाले 02 शातिर लुटेरे पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस, लूट की घटना से सम्बन्धित 04 लाख रू0 नगद व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद ।

गिरफ्तारी/पुलिस मुठभेड का विवरण – दिनांक 17.07.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाऐ जा रहे अभियान के अंतर्गत रूटीन चेकिंग में टीम बनाकर 2/5 की पुलिया वैशाली पर इन्दिरापुरम की तरफ से आने वाले व वैशाली को जाने वाली रोड़ पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी तभी एक काले रंग की स्पेलैण्डर प्लस मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट पर सवार 02 व्यक्ति इन्दिरापुरम की तरफ से आते दिखायी दिये जिन्हें चेकिंग हेतु रोकने का इशारा किया गया तो मोटर साइकिल सवार दोनों व्यक्ति एक दम से बायी तरफ मुड़कर तेज गति से सेक्टर 2/5 पुलिया की ओर एलीवेटेड के नीचे बने कच्चे रास्ते से यूपी गेट की तरफ भागने लगे । शक होने पर पुलिस पार्टी द्वारा मोटर साइकिल का पीछा किया और रोकने का प्रयास किया तो मोटर साइकिल सवार बदमाश भागते समय रास्ता उबड-खाबड होने के कारण मोटर साइकिल फिसल कर गिर गयी, बदमाशों ने स्वयं को घिरा देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया । जिसमें पुलिस पार्टी वाल-वाल बची । पुलिस पार्टी द्वारा प्राण संकट में पड़ते हुए देख बुलन्द आवाज में आत्म समर्पण करने हेतु चेतावनी दी गयी तो चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ और बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी की तरफ ऐम लगाकर जान से मारने की नीयत से फायर किया तथा पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में दोनों बदमाश 1. अभियुक्त प्रवेश पुत्र प्रीतम निवासी गेदनपुर शेखपुर थाना सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 22 वर्ष हाल पता स्वराज का मकान नटमढ़ैया थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर के दाहिने पैर व 2. अभियुक्त सचिन पुत्र तेज सिंह निवासी खोदनाकला थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर उम्र 21 वर्ष के बाये पैर में गोली लगी । जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस, लूट की घटना से सम्बन्धित 04 लाख रू0 नगद व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद की गयी । घायल बदमाश को गिरफ्तार कर प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया। गिरफ्तार किये गये दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण – गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोगों ने अपने 08 अन्य साथी 1. विवेक निवासी मायचा गौतमबुद्धनगर, 2. मनप्रीत निवासी ऐच्छर ग्रेटर नोएडा, 3. विशाल, 4. सुनील निवासी निलौनी शाहपुर रबुपुरा ग्रेटर नोएडा, 5. मुकुल निवासी भीमनगर थाना क्रासिंग रिपब्लिक, 6. सुरेन्द्र उर्फ सुलेन्द्र निवासी नटमढैया, 7. आकाश निवासी नटमढैया व 8. नितेश निवासी भीमनगर क्रासिंग रिब्लिक के साथ मिलकर दिनांक 14.07.2025 को इन्दिरापुरम में लूट की घटना कारित की थी । आज हम दोनों अपने हिस्से में आए 02-02 लाख रुपये लेकर मोटर साइकिल से जा रहे थे जो पैसे हम लोगों से बरामद हुए है वो इसी लूट की घटना से सम्बन्धित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. प्रवेश पुत्र प्रीतम निवासी गेदनपुर शेखपुर थाना सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर हाल पता स्वराज का मकान नटमढ़ैया थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 22 वर्ष।
2. सचिन पुत्र तेज सिंह निवासी खोदनाकला थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. 02 अवैध तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस,
2. लूट की घटना से सम्बन्धित 04 लाख रू0 नगद व
3. घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर में लूट, छिनैती सम्बन्धित करीब 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना कारित करने वाले 02 शातिर लुटेरे पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, लूट की घटना से सम्बन्धित 02 लाख रू0 नगद व घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी बरामद।

गिरफ्तारी/पुलिस मुठभेड का विवरण – थाना इन्दिरापुरम क्षेत्रांतर्गत लूटपाट की घटनाओं की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा सघन चेकिंग के दौरान आज दिनांक 18.07.2025 को मुखबिर की सूचना के आधार पर शिप्रा अण्डर पास की ओर से शिप्रा माल की तरफ आने वाले रोड पर एक स्कूटी पर सवार दो व्यक्तियों को आता हुआ देखकर पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया परन्तु स्कूटी सवार दोनो व्यक्ति नहीं रुके तथा स्कूटी को तेजी से मोड़कर शिप्रा माल के पीछे नोएडा सेक्टर 62 जाने वाले रोड की तरफ भागने लगे तभी पुलिस द्वारा पीछा करने पर पुलिस से बधकर भागने की जल्दी व हडबडाहट में स्कूटी फिसलकर रोड पर गिर गई उन दोनो व्यक्तियो ने अपने आप को पुलिस से घिरा देखकर पुलिस के हवाले करने के बजाय स्वयं को घिरा हुआ देखकर उन दोनों बदमाशों में से एक बदमाश ने अपने पास लिए तमंचे से पुलिस पार्टी को निशाना बनाकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया। जिससे हम पुलिस वाले बाल-बाल बचे। कार्यवाही के दौरान पुलिस पार्टी द्वारा अपना बचाव करते हुये साहस का परिचय देते हुये आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही व न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुये फायर कर रहे बदमाशों पर जवाबी फायर किया गया। जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। जिससे बदमाश घायल होकर नीचे गिर गया। तथा दूसरे अभियुक्त को दौड़कर मौके से पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, लूट की घटना से सम्बन्धित 02 लाख रू0 नगद व घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी बरामद हुई। घायल को इलाज हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 14.07.2025 को रात करीब 10.30 बजे कनावनी से हिण्डन बैराज की ओर जाने बाले पुस्ता रोड पर स्कूटी सवार प्रवेश विश्नोई के साथ बड़ी धनराशि की लूट की घटना की थी। इस घटना में हमारे साथ अन्य कुछ साथी भी शामिल थे जो अलग-अलग रास्तों पर प्रवेश विश्नोई की रैकी कर रहे थे। मुकुल व नितेश, प्रवेश विश्नोई की कनावनी में क्लाउड 9 सोसाइटी में ग्रासरी की दुकान पर काम करते हैं। इन दोनों ने ही हम लोगों को प्रवेश विश्नोई द्वारा भारी मात्रा में नगद धनराशि ले जाने की बात बताई थी । हमारे कब्जे से बरामद 2 लाख रुपये उसी लूट की घटना से संबंधित रुपये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. मनप्रीत सिंह पुत्र कृपाल सिंह निवासी ऐछर मस्जिद वाली गली थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 24 वर्ष।
2. सुनील पुत्र पूरनसिंह निवासी निलोनी शाहपुर थाना रबुपुरा जिला गौतमबुद्ध नगर उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, लूट की घटना से सम्बन्धित 02 लाख रू0 नगद व घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम पर लूट व छिनैती से सम्बन्धित 02-02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा एएलटी चौराहे से गंगनहर तक कांवड़ मार्ग एवं कांवड़ शिविरों का भ्रमण किया गया तथा सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

दिनांक 17.07.25 को पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कांवड़ यात्रा के सुचारू संचालन एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत एएलटी चौराहे से गंगनहर तक कांवड़ मार्ग एवं कांवड़ मार्ग पर स्थित कांवड़ शिविरों का भ्रमण किया गया तथा कांवड़ मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों, यातायात व्यवस्था एवं प्रकाश व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण एवं सुचारु संचालन हेतु सम्बन्धित को निम्नलिखित आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

- सम्पूर्ण कांवड़ मार्ग को सीसीटीवी कैमरों की मदद से लगातार मॉनिटर किया जाये, जिससे किसी भी संवेदनशील स्थिति में त्वरित कार्रवाई संभव हो सके।
- निरीक्षण के दौरान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा मार्ग की साफ-सफाई, बैरिकेडिंग, मेडिकल सुविधा, पेयजल, रात्रि प्रकाश व्यवस्था तथा CCTV कैमरों की स्थिति का गहन अवलोकन किया गया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

- कांवड़ मार्ग पर उचित बैरिकेडिंग कर यातायात का नियमन किया जाए ताकि यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को असुविधा न हो।
- कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाये रखते हुए डायवर्जन के रूट पर प्रतिबन्धित वाहनों को पूर्णतया रोका जाये।

साथ ही यात्रा के दौरान पड़ने वाले संवेदनशील एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थापित विभिन्न कांवड़ शिविरों का निरीक्षण कर शिविरों में उपलब्ध सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्थाओं, और श्रद्धालुओं की सहूलियत का जायजा लिया गया। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कांवड़ शिविरों के आसपास यातायात को सुचारू रखने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कांवड़ मार्ग पर ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों से वार्ता की गई तथा कांवड़ियों के साथ सेवा-भाव एवं शालीनता एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने तथा अलर्ट रहकर ड्यूटी करने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

गाजियाबाद पुलिस कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए कटिबद्ध है ।

क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाला 01 अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, 44 लाख रूपये कीमत की अवैध शराब मय आईसर कैन्टर ट्रक बन्द बॉडी सहित बरामद

दिनांकः 18.07.2025 को क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा चंडीगढ से अवैध अग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 01 शातिर तस्कर को अवैध शराब से भरी आईसर कैन्टर बन्द बॉडी के साथ थाना वेव सिटी गाजियाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की, आईसर कैन्टर बन्द बॉडी मे चंडीगढ की मैकडॉवेल नम्बर -1 ब्राण्ड की अवैध अग्रेजी शराब की तस्करी कर लाई जा रही कुल 600 पेटियाँ बरामद हुई। तस्करी कर लाई जा रही बरामद अवैध शराब की अनुमानित कीमत लगभग 44 लाख रू0 है। जो सिर्फ चंडीगढ मे ही बिक्री हेतु अधिकृत है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्त अनूप सिंह ने बताया कि वह छठी फेल है पढाई छोडने के बाद इसने ड्राईविंग का काम सीखा तथा पिछले 20 वर्षो से ट्रक ड्राईविंग का काम करता है। ट्रक ड्राईविंग के काम में ज्यादा आमदनी ना हो पाने व ज्यादातर बाहर रहने के कारण अनूप सिंह परेशान रहने लगा। वर्ष 2021-2022 में अनूप सिंह जीन्द हरियाणा के रहने वाले राममेहर के सम्पर्क मे आया जो बिहार सरकार द्वारा अपने राज्य मे शराब की बिक्री बैन किये जाने के कारण हरियाणा, पंजाब व हिमाचल प्रदेश से अवैध शराब तस्करी करके बिहार सप्लाई करता था जिसमें उसको काफी फायदा होता था उसको ऐसे ड्राईवर की आवश्यक्ता थी जो उसके शराब की तस्करी की गाडियों को बिहार पहुँचा सके।

शराब तस्करी के काम मे ज्यादा आमदनी होने के कारण अनूप सिह राममेहर के साथ अवैध शराब तस्करी का काम करने लगा तथा राममेहर के द्वारा हरियाणा, पंजाब व हिमाचल प्रदेश से तस्करी की गयी अवैध शराब को बिहार पहुचाने लगा। प्रत्येक चक्कर के रू0 50,000/- मिलते थे लेकिन मार्च 2023 मे अनूप सिह बिहार मे अवैध शराब की तस्करी करने मे जिला सहरसा बिहार से जेल चला गया करीब 8-9 माह जेल मे रहने के बाद अनूप सिंह जेल से छूटकर भोला निवासी हसनगढ जनपद रोहतक हरियाणा व रामनिवास निवासी झुन्झुनु राजस्थान के सम्पर्क मे आया। जो साथ मिलकर हरियाणा व पंजाब से अवैध शराब तस्करी करके बिहार भेजते थे, शराब तस्करी के काम मे ज्यादा आमदनी के लालचवश अनूप सिंह पुनः शराब तस्करी मे लिप्त हो गया और वह भोला और रामनिवास के द्वारा ज्यादा पैसे देने के कारण उनके साथ मिलकर अवैध शराब की तस्करी कर बिहार पहुंचाने लगा, जिससे काफी आमदनी होने लगी। शराब तस्करी के लिये यह आयसर कैंटर रामनिवास ने थाणे महाराष्ट्र के पते पर लिया था । दिनाँक-12/03/2024 को स्वाट टीम, क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद ने अनूप सिंह उपरोक्त को आईसर कैन्टर ट्रक जिसमे 501 पेटी अग्रेजी शराब पंजाब से तस्करी कर लायी जा रही थी को मुराद नगर गाजियाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया था जिसमें 2 माह 14 दिन जेल मे रहने के बाद अनूप उपरोक्त जेल से बाहर आया था कुछ दिन अपने भाई की परचून की दुकान पर बैठने के बाद वह पुनः विजयपाल निवासी रोहतक के सम्पर्क मे आया और पुनः अवैध शराब की तस्करी मे लिप्त हो गया। अभियुक्त अनूप सिंह व विजयपाल ने आईसर कैन्टर बन्द बॉडी किराये पर ले रखा है । शराब को ट्रक मे लोड करने के बाद उसको बन्द करके सील लगा देते है । बिहार में शराब बन्दी होने के कारण शराब तस्करी में काफी आमदनी होती है जिससे ये लोग अपने घर के खर्चे व अपने शौक पूरे करते है।

अभियुक्त से पूछताछ पर अवैध शराब के बिक्री व तस्करी करने वाले अपराधियों के सम्बन्ध में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर अवैध शराब की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से अवैध शराब की तस्करी व उससे होने वाली राजस्व की हानि को रोकने में निश्चित रूप से रोक लगेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.अनूप सिह पुत्र स्व0 तारीफ सिह निवासी ग्राम पयौदा थाना तीतरम जिला कैथल हरियाणा उम्र करीब 43 वर्ष

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण –

1.चंडीगढ की 600 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (मैकडॉवेल नम्बर-1)

2.आईसर कैन्टर ट्रक बन्द बॉडी –HR 61F 0705

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त अनूप के विरूद्ध बिहार राज्य मे 01 तथा गाजियाबाद में 02 कुल 03 अभियोग अवैध शराब तस्करी के सम्बन्ध में पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

क्राईम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद द्वारा झारखण्ड से तस्करी कर लाई जा रही लगभग 27 लाख रुपए कीमत की 1.166 किलोग्राम अफीम सहित एक अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

दिनांक- 17/07/25 को स्वाट टीम, क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र में झारखण्ड से तस्करी कर लाई जा रही 1.166 किलोग्राम अफीम सहित 01 अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है। अफीम तस्कर से बरामद 1.166 किलोग्राम अफीम की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 27 लाख रूपये है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ पर अभियुक्त संतोष यादव ने बताया कि वह झारखण्ड के लातेहार जिले का रहने वाला हैं और कक्षा 07 -तक पढा है। पढाई छोडने के बाद उसने गाँव मे दूसरों के खेतों मे मजदूरी का काम शुरू कर दिया परन्तु पूरे दिन काम के बाद सिर्फ 350रू0 मिलते थे कभी काम होता था कभी नही होता था जिससे परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, इसी कारण वह गया (बिहार) जाकर मजदूरी करने लगा तथा रेलवे स्टेशन पर आकर सो जाता था। इसी बीच गया (बिहार) मे इसकी मुलाकात छोटू यादव से हुई जिसने संतोष को बताया कि अफीम को झारखण्ड राज्य से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा व पंजाब में जाकर देने पर प्रति चक्कर 20 हजार रूपये मिलेंगे व रास्ते का खर्चा अलग से दिया जाएगा। इस पर संतोष यादव उपरोक्त तैयार हो गया और एक दो बार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बरेली, बदायूँ, दिल्ली एनसीआर, पंजाब व हरिया आकर सप्लाई किया जिसमे प्रति चक्कर उसे 20 हजार रूपये मिलने लगे, अभियुक्त संतोष ने बताया कि छोटू यादव को अफीम की जितनी डिमाण्ड मिलती है उतना ही माल एक पिट्ठू बैग मे कपडों के बीच मे रखकर संतोष यादव को गया (बिहार) रेलवे स्टेशन के बाहर देता है तथा आने-जाने का खर्चा भी देता है। छोटू यादव से अफीम लेकर संतोष बस व ट्रेन बदल-बदलकर अलग-अलग रूट से पहले बनारस फिर लखनऊ होते हुए कभी-कभी बरेली, बदायूँ व दिल्ली एनसीआर आता है, जिस व्यक्ति को माल देना होता है उस व्यक्ति से छोटू बात करके संतोष को अफीम की डिलीवरी देने की जगह व समय पहले ही बता देता है। जब संतोष उपरोक्त माल लेकर चलता है तो किसी से सम्पर्क नही करता जब तक की माल को तयशुदा जगह पर जिसको डिलीवरी देनी है वहाँ तक पहुँच न जाए। तयशुदा स्थान पर पहुँचने के बाद संतोष यादव छोटू यादव से बात करता है, छोटू यादव जिस व्यक्ति को अफीम की डिलीवरी देनी होती है उसे संतोष का हुलिया बताकर भेजता है जिसे संतोष माल देकर 20 हजार रू0 ले लेता है। पूछताछ पर यह भी बताया कि पिछले कुछ समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अफीम की माँग बढी है। यह काम वह पिछले 06 माह से कर रहा है एवं कई बार माल पहुँचा चुका है मादक पदार्थो की तस्करी मे कम समय मे ज्यादा फायदा होता है, जिससे संतोष अपने शौक व घर के खर्चे पूरा करता है। इस बार यह अफीम की खेप श्यामबिहारी नाम के व्यक्ति को दुहाई के पास डिलीवरी करना था कि पुलि ने पकड लिया।

अभियुक्त से पूछताछ पर मादक पदार्थों के बिक्री व तस्करी करने वाले अपराधियों के सम्बन्ध में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से जनपद गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रों में मादक पदार्थों की बिक्री व उनके सेवन पर रोक लगेगी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.संतोष यादव पुत्र ईश्वर यादव निवासी ग्राम कुई थाना मनिका जिला लातेहार झारखण्ड उम्र करीब 34 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

1.अफीम 1.166 किलोग्राम कीमत लगभग 27 लाख रूपये

गिरफ्तार अपराधी का आपराधिक इतिहास- अभियुक्त संतोष यादव के विरूद्ध गाजियाबाद में 01 अभियोग मादक पदार्थो की तस्करी के सम्बन्ध मे पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.स्वाट टीम, क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद
2.थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 17.07.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों 1. राहुल पुत्र रोहताश निवासी ई-ब्लॉक बिहारी मंदिर के पास पंचशील कॉलोनी भोपुरा थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष 2- विशाल उर्फ हकला पुत्र बलराम उर्फ लाला निवासी शर्मा डेरी वाली गली ई-ब्लॉक पंचशील कॉलोनी भोपुरा थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष 3.हिमांशु पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी कजानिया प्रोपर्टीज के पास पंचशील कॉलोनी भोपुरा थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को चौकी पाइपलाइन क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से भिन्न-भिन्न स्थानों से चोरी की गई 02 मोटरसाइकिल बरामद हुई । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि जो मोटरसाइकिल हमसे बरामद हुई हैं इनमें से एक मोटरसाइकिल हमने मिलकर जीटीबी अस्पताल के गेट दिल्ली से चोरी की थी जिसकी दोनों नबंर प्लेट हम लोगों ने हटा दी थी। दूसरी मोटरसाइकिल हमने थाना टीलामोड क्षेत्र के एक ओयो होटल के सामने से चोरी की थी । हम इन चोरी की मोटरसाइकिलों को बेचने की फिराक में जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1.राहुल पुत्र रोहताश निवासी ई-ब्लॉक बिहारी मंदिर के पास पंचशील कॉलोनी भोपुरा थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

2.विशाल उर्फ हकला पुत्र बलराम उर्फ लाला निवासी शर्मा डेरी वाली गली ई-ब्लॉक पंचशील कॉलोनी भोपुरा थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

3.हिमांशु पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी कजानिया प्रोपर्टीज के पास पंचशील कॉलोनी भोपुरा थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से भिन्न-भिन्न स्थानों से चोरी की गई 02 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर उक्त चोरी के वाहन बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। तथा दिल्ली में उक्त मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त राहुल के विरूद्ध के थाना टीला मोड़ पर चोरी व आयुध अधिनियम के कुल 05 अभियोग पंजीकृत हैं। (कुल अभियोग- 07)

अभियुक्त विशाल के विरूद्ध थाना टीला मोड़ पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग-03)।

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।